6536 28/5/15

6536/15

2[illegible] MAY 2015 [illegible] SECTION

सूचना लेने हेतु आवेदन-पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत)

1- आवेदक का नाम : जगदीश प्रसाद [illegible]
2- पिता का नाम : श्री मोहन सिंह
3- पूरा पता : आजाद नगर, [illegible] कुरुक्षेत्र पो० करसर जिला [illegible] हरियाणा पिन कोड - [illegible]
4- फोन नम्बर : [illegible]
5- आवेदन देने की दिनांक : 26-05-2015
6- कार्यालय/विभाग का नाम : प्रिंसिपल सेक्रेटरी टु पीएम [illegible] भारत सरकार नई दिल्ली
7- चाही गयी जानकारी का विवरण : [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत निम्न [illegible] सूचनाएं लिखकर प्रार्थी को [illegible] तथा विश्वसनीय [illegible] एक माह के अन्दर प्रदान करने का कष्ट करें।

(1) चीन द्वारा भारत की कितनी [illegible] भूमि पर [illegible] कब्जा कर लिया है कृपया जानकारी देवें।

(2) पाकिस्तान ने [illegible] भूमि पर [illegible] कब्जा [illegible] कृपया [illegible] जानकारी का कष्ट करें।

(3) [illegible] भारतीय भूमि पर कब्जा [illegible] पाकिस्तान [illegible] कितनी [illegible] हो [illegible] कृपया [illegible] देवें। भारत की [illegible]

MEA / MHA / MOD

नोट :- [illegible] भारतीय पोस्टल आर्डर में [illegible] इस कारण खाली छोड़ दिया गया है। क्योंकि मुझे आपके कार्यालय में [illegible] पदनाम [illegible] नहीं है कृपया पदनाम अंकित कर [illegible] करने का कष्ट करें।

8- क्या चाहते हैं : नकल/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना। [illegible]
9- आवेदन की फीस रु० नकद या ड्राफ्ट से (बी०पी०एल० के लिए नहीं) भारतीय पोस्टल आर्डर [illegible] 58 7K 534172673
10- आवेदक बी०पी०एल० है अथवा नहीं : हां/नहीं [illegible]
यदि हां तो बी०पी०एल० सूची का क्रमांक : [illegible]

संलग्नक :- भारतीय पोस्टल आर्डर [illegible] 58 7K 534172673
[illegible] (दस रुपये)

प्रार्थी/आवेदनकर्ता

पावती

1- आवेदक का नाम व पता : जगदीश प्रसाद [illegible] श्री मोहन सिंह आजाद नगर [illegible] करसर पो० करसर जिला [illegible] हरियाणा [illegible]
2- आवेदन प्राप्त होने की दिनांक :
3- आवेदन कर्ता को वांछित जानकारी लेने हेतु पुनः आने की दिनांक :
4- संबन्धित विभाग/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी :
5- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (7) (5) के अन्तर्गत आवेदन पत्र की शुल्क रु० 10/-(दस) मात्र को नकद रूप में मैंने प्राप्त किया।

33400
26/05/15

दिनांक : ________ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम मोहर सहित

4205784 Spare [illegible]

3396
04/06/15

9336/FS/15
2/6/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 29/05/2015

संख्या आरटीआई/6536/2015-पीएमआर

1233/15

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री जगदीश प्रसाद त्यागी से प्राप्त दिनांक 23.5.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.5.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

US(RTI)

(अम्बुज शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री जगदीश प्रसाद त्यागी
पुत्र श्री मोहन सिंह
आजाद नगर, नगर पंचायत कुरसठ
पोस्ट कुरसठ, हरदोई
उत्तर प्रदेश-241126

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

- US(China)
- US(Pak)

4/6

4/6

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला
समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
(चीन प्रभाग)

08 जून, 2015

सं. ई/551/102/2015-आरटीआई

सेवा में

श्री जगदीश प्रसाद त्यागी,
पुत्र श्री मोहन सिंह,
आज़ाद नगर, नगर पंचायत कुरसठ
पोस्ट कुरसठ, हरदोई,
उत्तर प्रदेश - 241126

विषय: सूचना का अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 23.05.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे 29.05.2015 को आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:-

भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को चीन विवादित मानता है। जम्मू-कश्मीर का लगभग 38, 000 वर्ग कि.मी. भारतीय हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के बीच 02 मार्च, 1963 को हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के

तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5180 वर्ग कि मी भारतीय हिस्सा आवैध रूप से चीन को दे दिया है। चीनी पक्ष को कई अवसरो पर, जिनमे सर्वोच्च स्तर शामिल है, स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया है कि जम्मू व कश्मीर भारत का आभिन्न एव अविभाज्य हिस्से है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली – 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

अनिकेत गोविंद मांडवगणे

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस
अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली